कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 1509/25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांकः– 14 .12.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लो0नि0वि0, नई टिहरी/पौड़ी/पिथौरागढ़।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एंव सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भः शासनादेश संख्या–1502/III (2)/18–02 (बजट)/2018 दिनांक–09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियो के द्वारा विभिन्न प्रकरणो में भू–अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की मॉग के कम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न सूचीनुसार (12 प्रकरण में) प्रकरणवार/खण्डवार कुल ₹ 2.2954241 करोड़ (₹ दो करोड़ उनतीस लाख चौवन हजार दो सौ इकतालीस मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तो के अन्तर्गत आबंटित की जाती हैं।

आबंटन की शर्तें (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों को किये जाने से पूर्व वास्तविक स्वामित्व व निर्धारित दरों आदि का भली–भॉति जॉच व परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू–अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्वि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी मानें जायेंगे।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यो/मार्गो के मूल आगणन में सम्मिलित नही था और न हीं उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरूद्व किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यो में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अर्न्तगत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

I.T. upload on NIC 19.12.18
(देवेन्द्र शाह) अधिशासी अभियन्ता

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/पौड़ी/पिथौरागढ़।
4– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
5– अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग ....।
6– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून ।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ....।
8– आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

पत्र संख्या 1509 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांक 14 /12/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़कों तथा सेतुओ के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–337–04–00–24 (पूँजीगत) (धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जड़ी–दुमका–रनाडी–अठाली जोशियाडा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली छानों का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3661/1 सी0 दि0 25.09.2018	5.67	5.67
	योग, प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी			**5.67**	**5.67**
2	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार से मुरोगी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से अध्याप्त/क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3844/90 सी–06/18 दि0 26.10.2018	5.34707	5.34707
3	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत छेजुला से कवाटा मोटर मार्ग के निर्माण से अध्याप्त क्षतिग्रस्त भूमि, फसल एवं पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3801/90 सी–06/18 दि0 26.10.2018	19.96265	19.96265
	योग, निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़			**25.30972**	**25.30972**
4	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सारीगाड़–कण्डारी मोटर मार्ग निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि व वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 बड़कोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3409/85 सी–06/2018 दि0 24.08.2018	1.33200	1.33200
5	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत नौगांव–पुरोला मोटर मार्ग के किमी0 3 में कमल नदी पर ग्राम थली के साड़ा नामें तोक में 54 मी0 स्पान (चयनित स्पान 48 मी0) स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण हेतु नापभूमि अधिग्रहण का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 बड़कोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 4993/85 सी–06/2018 दि0 14.11.2018	1.01956	1.01956
	योग, निर्माण खण्ड बड़कोट			**2.35156**	**2.35156**
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड थौलधार में स्यांसू पुल से रतवाडी खोली मोटर मार्ग के किमी0 0 से 5.625 के अन्तर्गत ग्राम रतवाड़ी की सामूहिक सिंचाई योजना हेतु निर्मित गूल, नहर गूल का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चम्बा	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 6321/1(II) सी0–8/18 दि0 16.10.2018	6.30	6.30
	योग, निर्माण खण्ड चम्बा			**6.30**	**6.30**
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खरसाड़ा–कोठी–जखण्ड–दिग्वाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से 5 चै0 2 से 5 तक भूमि अध्याप्ति एवं दबान क्षति का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 6796/161(3) सी0–8/18 दि0 30.10.2018	44.51	44.51
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तैला–खौड़खोला नगर होते हुये कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 7090/161 (3) सी0–8/18 दि0 29.11.2018	27.92	27.92
	योग, निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर			**72.43**	**72.43**

14/12/2018

पत्र संख्या 1509/25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांक 14 /12/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़कों तथा सेतुओ के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–337–04–00–24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
9	जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पिण्डर नदी पर आई.टी.आई. से सुभाषनगर के लिये 110 मीटर स्पान पैदल सेतु निर्माण हेतु नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 कर्णप्रयाग	अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉं वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर का पत्र संख्या 3829/124 यातायात–07/18 दि0 29.09.2018	11.64240	11.64240
	योग, प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग			**11.64240**	**11.64240**
10	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल–हुलाकीखाल–कठूली मेाटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य से प्रभावित भूमि प्रतिकर/क्षतिग्रस्त फलदार वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 श्रीनगर	अधीक्षण अभियन्ता, बारहवॉं वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी का पत्र संख्या 4514/69 याता–12/2018 दि0 02.11.2018	2.71873	2.71873
	योग, निर्माण खण्ड श्रीनगर			**2.71873**	**2.71873**
11	जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस लाईन से मैथाना–बुथखोला तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 पिथौरागढ़	शासन का पत्र संख्या 5020/III(2)–18–44 (एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.11.2018	203.23013	100.00
	योग, प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़			**203.23013**	**100.00**
12	मदनपुर–नैनी मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त सारतोल नहर से प्रभावित काश्तकारों की विगत वर्ष के दौरान अवितरित भूमि प्रतिकर का भुगतान।	अ0ख0 बेरीनाग	अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 बेरीनाग का पत्र संख्या 1841/25 सी दि0 28.11.2018	3.12700	3.1200
	योग, अस्थाई खण्ड बेरीनाग			**3.12700**	**3.1200**
	कुलयोगः– (क0सं0 1 से 12 तक)			**332.77954**	**229.54241**

25 बजट शीट–6 दिनांक 11.12.2018

<u>अब आवंटित धनराशिः</u> ₹ दो करोड़ उनतीस लाख चौवन हजार दो सौ इकतालीस मात्र।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
14/12/2018